लोक निर्माण विभाग,

(14)

96, महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

दिनांक 26/09/17

पत्रांक 709 कैम्प-प्र.अ. विन्यास/01 सरकुलर/17

# परिपत्र

प्रदेश में विभिन्न मार्गों पर विभिन्न प्रकार के स्पीड ब्रेकर बने हुए पाए जाते हैं, जो कि मानक के अनुरूप नहीं हैं एवं मानक के अनुरूप न होने के कारण तथा विभिन्नता होने के कारण कतिपय प्रकरणों में बेतरतीब बने हुए स्पीड ब्रेकर के कारण दुर्घटनाएं होती हैं तथा यातायात को असुविधा उठानी पड़ती है। स्पीड ब्रेकर तथा रम्बल स्ट्रिप के सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परिपत्र सं0– RW/NH-11064/I/91-DOI दिनांक 28.06.1999 में विस्तृत जानकारी दी हुई है।

अतः एतद्द्वारा यह आदेश किए जाते हैं कि प्रदेश के मार्गों पर जो शहर से बाहर हैं, उन पर जहां आवश्यकता हो वहां पर रम्बल स्ट्रिप का प्राविधान किया जा सकता है।

रम्बल स्ट्रिप में 6 स्ट्रिप बनाई जाएं जिनके बीच Centre to Centre दूरी 1.0 मी0 हो एवं प्रत्येक स्ट्रिप की चौड़ाई 250 एम0एम0 एवं ऊँचाई 25 मिमी0 (1 इंच) हो। यह रम्बल स्ट्रिप मार्ग की पूरी चौड़ाई में बनाई जाए।

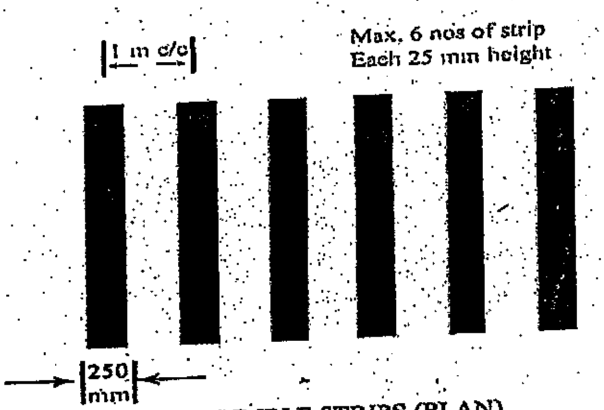


RUMBLE STRIPS (PLAN)

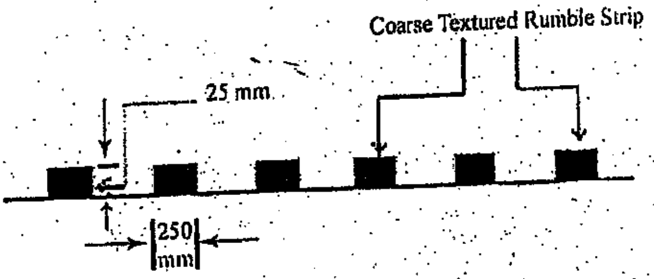


CROSS SECTION

इसी प्रकार शहरी मार्गों में जहां पर आवश्यकता हो, वहां पर Speed Table (Tropizoidal Hump) का प्राविधान किया जाए। यह स्पीड टेबिल भी मार्ग की पूर्ण चौड़ाई में बनाई जाएगी एवं स्पीड टेबिल की चौड़ाई 2.5 मी0 तथा ऊँचाई 50 मिमी0 से 100 मिमी0 रखी जाए, जिसे मार्ग की सतह से दोनों ओर 0.6 मी0 लम्बाई में मिला दिया जाए। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी IRC:11-2015 में दी हुई है। स्पीड टेबल के 2.5 मीटर चौड़े भाग को खुरदरा रखते हुए किसी रंग से या किसी अन्य चमकीले पदार्थ से पेंट करें अथवा कोबल स्टोन/टाइल्स लगायें।

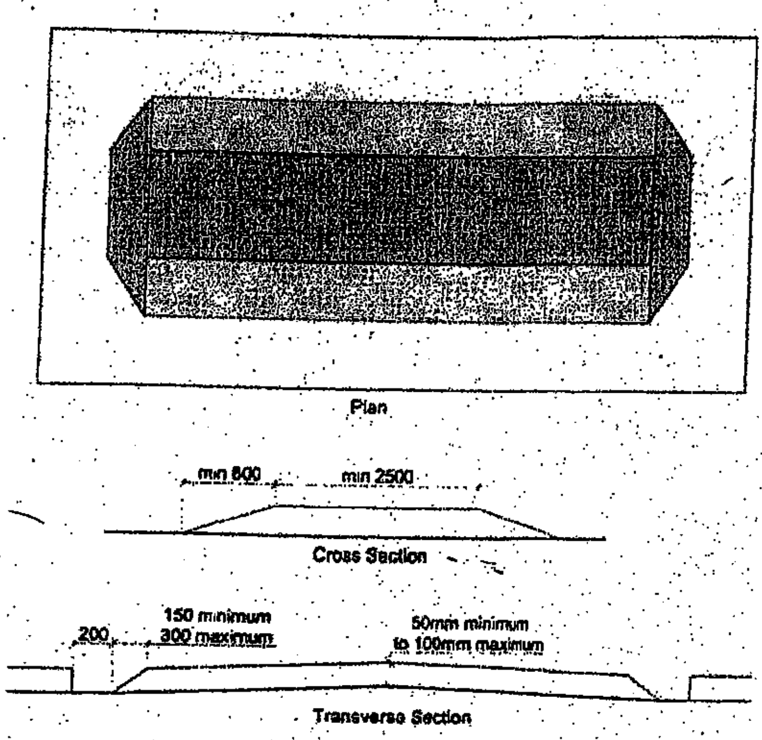


उपरोक्त से भिन्न यदि कोई स्पीड ब्रेकर प्रदेश के किसी मार्ग पर बना हुआ है, तो आवश्यकतानुसार उसे तोड़कर उपरोक्तानुसार निर्मित कराया जाये एवं चेतावनी सूचक बोर्ड (वार्निंग साईनेज) भी लगायें।

ह0 -

( वी0 के0 सिंह )
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 (ईमेल द्वारा)।

20/7/17

प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष